



परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
एवं पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2018/ज्येष्ठ 25, 1940

No. 412]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2018/JYAISTHA 25, 1940

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2018

सा.का.नि.567 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 के नियम 25, के उप-नियम (3) में, "पृथक खाता" शब्द के पश्चात्, "जिसे नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के मुख्य कार्यपालक तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कम से कम निदेशक स्तर के अधिकारी, जो कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में वित्त व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।" अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. एल-11012/2/2003-एलएंडएम]

दिनेश कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.संख्या 790(अ) तारीख 2 दिसम्बर, 2002 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और तत्पश्चात् उनमें सा.का.नि. 717(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2007 के और सा.का.नि. 447(अ) तारीख 15 जून, 2012 एवं सा.का.नि. 798(अ) तारीख 17 अगस्त, 2016 द्वारा संशोधन किए गए।

Authenticated

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2018

G.S.R. 567(E).—In exercise of the powers conferred by section 124 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002, namely :-

1. (1) These rules may be called the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002, in rule 25, in sub-rule (3), after the words "a separate account", the words "to be operated jointly by the Chief Executive of the National Co-operative Union of India Limited, New Delhi and an officer of the Central Government not below the rank of Director responsible for finance in the Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare authorized by the Central Government," shall be inserted.

[F. No. L-11012/2/2003-L&M]

DINESH KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 790(E), dated the 2nd December, 2002 and subsequently amended by G.S.R. 717(E), dated the 12th November, 2007, G.S.R. 447(E), dated the 15th June, 2012 and G.S.R. 798(E), dated the 17th August, 2016.

Authenticated


PARSHOTTAM RUPALA
Minister of State
for Min. of Agriculture & Farmers Welfare
and Ministry of Panchayati Raj
Government of India
Krishi Bhawan, New Delhi

**ALOK
KUMAR**

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 2018.06.18
22:08:43 +05'30'